समक्षः– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमॉक :

प्रस्तुति दिनॉक : 26.10.2015

श्री श्रीमती रजनी चौबे शर्मा एडवो द्वारा आज दि. 26/10/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग / 3487 – II – 15

ब्रजेश असाटी उम्र करीब 47 वर्ष पिता सूरज प्रसाद असाटी

निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला–दमोह (म.प्र.) ....**निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निग्ररानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय् तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमॉक 68 अ/68, बर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 13.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय् के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

मान्यवर्,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने आज से करीब 45 साल पहले निगरानीकर्ता एवं उसके भाई दिनेश असाटी के नाम से ख.नं. 162/1क से लगे ख.नं. 163/1 की भूमि रजिस्टर्ड बैनामा दिनॉक 03.05.1971 व 29.11.1971 के जरिए

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3487–दो/15 **जिला** –दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18.11.15	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 68/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.10.15 के विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । 2– निगरानी में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक के विरूद्व पूर्व में दो बार प्रकरण चल चुके हैं जिसमें प्र0क0 167/अ–68/92–93 एवं 22/अ–68/84–85 में पारित आदेशों का परिशीलन किया । प्रकरण में निचली अदालत ने माना था किविधिवत नाप नहीं किया गया न ही मौके पर चांदा है । प्रकरण में यह भी निर्धारित किया गया कि यह भूमि खसरा न0 162/1 का आवादी की है आवेदक द्वारा खसरा पंचशाला 73–74 पेश किया गया जिसमें प्र0क0 15/अ–65/64–65 में पारित आदेश दिनांक 13.1.66 को उक्त रकवा घास गौठान से आवादी घोषित किया । आवेदक के अधिवक्ता का यही भी कहना है कि शासन सिद्व नहीं कर पाया कि आवेदक ने किस जमीन पर कब्जा किया है । जबकि आवेदक के पास रजिस्टर्ड बैनामा है ।निचली अदालत ने यह भी कहा है कि बैदखली न्यायसंगत नहीं है । प्रकरण कमांक 167/अ–68/92–93 में यह भी निर्धारित हो चुका है कि अतिकमण सिद्व नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाता है । आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण कमांक राजस्व प्रकरण 22/अ–68/84–85 आदेश दिनांक 13.5.86 एवं 167/अ'68/92–93 आदेश दिनांक 29.6.94 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है ।	

3– उपरोक्त विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों आदेश दिनांक 13.5.86 एवं 29.6.94 अंतिम होकर स्थर हो गये हैं क्योंकि शासन ने इन आदेशों के विरूद्व कोई अपील पेश नहीं की है । आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि ऐसी स्थिति में उसी भूमि पर उन्हीं पक्षकारों की मध्य एवं उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः प्रकरण चलाना पूर्व न्याया (रेसजूडीकेटा) की श्रेणी में आता है जिससे पुनः न्यायालय तहसीलदार को पुनः विचारण करने का क्षेत्र अधिकार नहीं रह जाता है ।

4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 आबादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस पर इमारती संपत्ति खडी है । उन्होंने यह भी बताया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर के उस पर यदि कोई इमारत बनी हुई है तो उसे सिविल न्यायालय के डिक्री द्वारा ही हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं इस संबंध में न्याय दृष्टांत जे0 एल0जे0 2000 (2) नो 143 स्टेट ऑफ एम0पी एवं अन्य विरूद्व उत्तमचंद एवं अन्य प्रस्तुत किया है ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है । आदेश दिनांक 13.10.15 निरस्त किया जाता है ।

सदस्य